महत्वपूर्ण एवं खास

यादव समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन 19 को

रायपुर (आरएनएस)। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सर्वयादव महासभा द्वारा शहीद स्मारक भवन में रविवार 19 जनवरी को सुबह 10 बजे से यादव समाज के सर्वगोत्र यथा कोसरिया, झेरिया, ठेठवार, मग्धा, देसहा, गौली, भोरतिया एवं अठोरिया सहित अनेक गोत्रों के युवक-युवती सामूहिक रूप से परिचय सम्मेलन में भाग लेंगे। समाज के संरक्षक माधव लाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जाने पर वरिष्ठजनों का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर समाज की पत्रिका का विमोचन किया जाएगा।

पिता ने सौतेली बेटी के साथ किया अनाचार, घटना के बाद आरोपी फरार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आरोप है कि पिता ने अपनी ही सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत टिकरापारा पुलिस से की है। जानकारी के अनुसार टिकरापारा थाना में एक लड़की ने अपनी ही पिता पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया है। उसने पुलिस को बताया कि आरोपी रफीक ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। मामले में पता चला है कि आरोपी रफीक ने दूसरी शादी की है। वह दूसरी पत्नी और सौतेली बेटी के साथ रह रहा था । तभी आरोपी ने दुष्कर्म किया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाशी में जुट गई है। पुलिस जल्द ही इस मामले की पुष्टि करेगी।

कर्मचारी के आत्महत्या मामले में जोगी पिता-पुत्र के खिलाफ जुर्म दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बिलासपुर जिले के मरवाही सदन में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर जोगी पिता-पुत्र के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। मृतक के परिजनों ने अजीत जोगी और उसके बेटे अमित जोगी पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा मृतक कर्मचारी मनवा उर्फ संतोष पर चोरी का आरोप लगाकर उसे डराया-धमकाया जा रहा था। मृतक ने इसकी जानकारी अपनी पत्नी को भी दी थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जोगी पिता-पुत्र के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से तंग आकर मनवा ने खुदकुशी की है। परिजनों का बयान लेने के बाद पुलिस ने इस मामले में जोगी पिता-पुत्र के खिलाफ मनवा को आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करते हुए मामले को जांच में लिया है।

जुआ खेलते 6 जुआरी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। जुआ खेलते पाये जाने पर पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार आजाद चौक थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सिल्लूबाड़ी बढ़ईपारा के पास जुआ खेलते भूषण साहू 24 वर्ष, भारत बरवे 40 वर्ष एवं अन्य चार जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 हजार 2 सौ 50 रुपये व ताश की 52 पत्ती जब्त किया है।

1 ईनामी नक्सली सहित 3 गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कल कटेकल्याण क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चिकपाल व कलेपाल के बीच जंगल में नक्सलियों की आसूचना पर थाना कटेकल्याण एवं डीआरजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा एक ईनामी नक्सली सहित 03 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

135 कट्टा धान जब्त

महासमुंद (आरएनएस)। बागबाहरा पुलिस ने बाघामुड़ा में एक घर से धान जब्त किया है। वहीं धान का अवैध परिवहन करते हुए एक पिकअप को पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि नवागांव बाघामुड़ा निवासी दिनेश कुमार साहू पिता जैन राम साहू के घर अवैध धान का भंडारण है। सूचना पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए उसके घर से पुलिस ने 70 कट्टा धान जब्त किया। इसी प्रकार टीम ने मुखबिर की सूचना पर बागबाहरा रोड में घेराबंदी कर एक महिन्द्रा पिकअप सीजी 06 जीएम 0325 से 65 कट्टा धान जब्त किया है।

सरकारी गतिविधियों को पूर्णतः पारदर्शी बनाना है राज्य सूचना आयुक्त पवार

» शासकीय कार्यों, दस्तावेजों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित करें

रायपुर। राज्य के सूचना आयुक्त मोहन राव पवार ने आज ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आज छठवें बैच में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने मास्टर ट्रेनर्स के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के समापन अवसर पर कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आम जनता की भलाई के लिए है।

उन्होंने कहा कि सरकारी गतिविधियों को पूर्णतः पारदर्शी बनाना है और आवेदक को समय-सीमा के भीतर जानकारी दें अन्यथा निर्धारित समय-सीमा 30 दिन के बाद आवेदक को निःशुल्क जानकारी देनी होगी। शासकीय कार्यों, दस्तावेजों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित करें, ताकि आम नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। पवार ने कहा कि जनसूचना अधिकारी इसकी महत्वपूर्ण कडी है, किन्तु जनसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर आवेदक को जानकारी नहीं देने पर अथवा गलती करने पर जनसूचना अधिकारी को दंडित करना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति से जनसूचना अधिकारी को बचना चाहिए।

राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार ने कहा कि हर नागरिक को सरकारी गतिविधियों को जानने का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कार्यो को पारदर्शी बनाना है। पवार ने कहा कि प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना सूचना का अधिकार का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सरकारी गतिविधियों को जानने का मौलिक अधिकार है। विभिन्न विषयों की जानकारी मांगने पर केवल एक ही बिन्दु की जानकारी दी जाएगी अथवा विशिष्टता का उल्लेख करने कहें, जिससे जानकारी समय सीमा में दी सके।

राज्य सूचना आयुक्त पवार ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। नागरिकों के द्वारा शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों की जानकारी मांगने पर निर्धारित समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व हमारा है। जन सूचना अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम का मेरूदण्ड हैं।

जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वयं पढ़े और सकारात्मक सोच से कार्य करें, इससे गलती की संभावना कम होगी। उन्होंने कहा कि जानकारी देने की समय-सीमा और शुल्क निर्धारित कर जानकारी उपलब्ध कराने आवेदक को पत्र अवश्य दें। सूचना आयुक्त श्री पवार ने कहा कि शुल्क के रुप में संलग्न स्टाम्प छत्तीसगढ़ राज्य का है तभी स्वीकार करें अन्य राज्य के होने पर और किस प्रयोजन के लिए खरीदा गया इसको ध्यान से देखकर स्टाम्प सूचना का अधिकार से संबंधित आवेदन के लिए नहीं है, तो अमान्य करते हुए वापस कर दें। राज्य सूचना आयोग के संयुक्त संचालक श्री धनंजय राठौर ने कार्यशाला में स्पष्ट किया कि सूचना का अधिकर अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी अधिनियम के नियमों और उनकी बारीकियों को समझ सकें, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है।

उन्होंने जनसूचना अधिकारी को आवेदन का बारीकी से परीक्षण कर समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने कहा। जनसूचना अधिकारी समय सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपील कर सकता है और निर्णय देने के बाद उसे समय सीमा में कार्यान्वित कराना प्रथम अपीलीय अधिकारी का दायित्व है।

शक्कर उत्पादन की लागत में कमी लाएं - डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

» कारखानों के संचालन में मितव्ययता बरतने के निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने प्रदेश में संचालित चार सहकारी शक्कर कारखाना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गन्ना उत्पादक किसानों के व्यापक हित में आवश्यक मितव्ययता के साथ गुणात्मक ढंग से दक्षता पूर्ण कारखाना संचालन कर शक्कर की लागत में कमी और रिकव्हरी में वृद्धि सहित सह उत्पादों के अधिकतम संभव मूल्य में विक्रय सहित सभी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में भोरमदेव कवर्धा, लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया, मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना अंबिकापुर और दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद की समीक्षा की गई। डॉ. टेकाम ने अधिकारियों को शक्कर के निर्यात के प्रभावी प्रयास के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा वितरण के लिए गुड़ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कवर्धा जिले में अतिशेष गन्ने से गुड़ निर्माण के लिए गुड़ निर्माण सहकारी समिति के गठन के प्रयास किए जाए। डॉ. टेकाम ने कारखानों की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए पी.पी.पी. मोड के विकल्प पर विचार करते हुए प्रस्ताव करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कवर्धा में 40 के.एल.पी.डी. क्षमता का मोलासिस से इथेनॉल बनाने के लिए संयंत्र की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। डी.पी.आर. व्ही.एस.आई. पुणे से तैयार कराया गया है।

निगम ने लगाया 28 हजार का जुर्माना

जगदलपुर (आरएनएस)। शहर के धरमपुरा में चल रहे निर्माण कार्यों से उड़ रही धूल से लोगों की परेशानी बढ़ी है। इस संबंध में निगम आयुक्त ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए निगम कर्मचारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिया था।

जिसके बाद निगम कर्मचारी मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य करवा रहे लोगों को 28 हजार का जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी है कि आगे से सड़क पर निर्माण सामाग्री नहीं फैलाया जाये। निगम आयुक्त ने खनिज विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में सलाह देते हुए कहा है कि निर्माण सामाग्री को वाहनों पर ढंक कर लाया जावे। इस संबंध में निगम आयुक्त अरविंद एक्का ने कहा है कि निर्माण कार्य से फैल रहे प्रदुषण के लिए लोगों को हिदायत दिया है कि निर्माण सामाग्री सड़क में न फैलावें अन्यथा जुर्माने एवं जप्ती की कार्यवाही की जायेगी।

साल के पहले मिशन संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसरो (आईएसआरओ) द्वारा वर्ष 2020 के पहले मिशन संचार उपग्रह जीसैट-30 के सफलता पूर्वक प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों एवं उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं दी है। यह सैटेलाइट टेलीविजन अपलिंकिंग, डिजिटल सैटेलाइट खबर संग्रहण (डीएसएनजी), डीटीएच सैटेलाइट टीवी प्रसारण तथा टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करेगी । संचार उपग्रह जीसैट-30 को इसरो द्वारा शुक्रवार सुबह 2.35 बजे फ्रेंच गुआना के कौरू स्थित स्पेस सेन्टर युरोपियन रॉकेट एरियन 5-वीटी 252 से लॉन्च किया गया।

विज्ञापनी दवाओं का बाजार मरीजों को कर रहा गुमराह, जिम्मेदार नहीं कर रहे कार्रवाई

» घातक बीमारियों की दवा कोई साइड इफेक्ट नहीं कहकर बेची जा रही है, ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल लगे प्रतिबंध

रायपुर (आरएनएस)। विभिन्न बीमारियों के लिए आसान इलाज के नाम पर कुछ दवा कंपनियों द्वारा घटिया स्तर की दवाओं का व्यापक मात्रा में सोशल मीडिया टीवी आदि के माध्यम से प्रचार कर गंभीर व्याधि से ग्रस्त मरीजों को ऑनलाइन दवा मंगाने के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। इस संबंध में जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. योगेश चंद्र मिश्रा ने आरएनएस प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों से केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर तत्काल प्रभाव से छापा मारी कर उक्त दवाओं को प्रतिबंधित करने की मांग की है। ज्ञातव्य है कि किडनी हार्ट लीवर, कैंसर एवं यौन रोगों से संबंधित दवाओं को प्राकृतिक दवा कोई साइड इफेक्ट नहीं बताकर ऑनलाइन एवं टीवी विज्ञापन के जरिए मनमाने दामों पर बेचा जा रहा है जिसके चलते आए दिन मरीजों की जान संकट में पड़ जाती है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि वे हाउसिंग बोर्ड कालोनी टाटीबंध के निवासी है। विगत रविवार को उनके आवास में ऐसे ही एक मरीज दंपत्ति का आना हुआ जिन्होंने ऑनलाइन दवा मंगाकर हार्ट एवं किडनी से संबंधित बीमारी से मुक्ति पाने के लिए दवा का सेवन किया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्होंने उक्त हीरापुर निवासी मरीज दंपत्ति को तत्काल एम्स हास्पिटल रिफर किया। टीवी में विज्ञापन देखकर दवा लेने वालों को डॉक्टर चंद्रमणी तिवारी,डॉ. संगीता तिवारी, डॉ. संगीता नागराज, डॉ. अशोक गुप्ता ने डॉक्टरों को बिना दिखाए मनमाने तरीके से दवा का इस्तेमाल न करने की सलाह आरएनएस प्रतिनिधि के माध्यम से दी है। साथ ही डॉ. योगेश चंद्र मिश्रा ने भी ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष से बिना डॉक्टर की पर्ची देखे दवा दुकानदारों से घातक बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाएं बिक्री न करने के लिए रिटेलर मेडिकल स्टोर के संचालकों को तत्काल निर्देश देने की मांग की है।

ट्रक चालकों की हत्या करने वाले दो सीरियल किलर गिरफ्तार

» दोनों आरोपी मध्यप्रदेश में पकड़ाए

» आरोपियों ने छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में कई वारदातों को दे चुके है अंजाम

बेमेतरा (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में ट्रक चालकों की हत्या कर ट्रक चोरी करने वाले दो सीरियल किलर को बेमेतरा पुलिस ने मध्यप्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता पायी है। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस ने मध्यप्रदेश से दो सीरियल किलर आदेश खाम्भारा और जयकरण प्रजापति को गिरफ्तार कर बेमेतरा लाई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन दोनों सीरियल किलर ने छत्तीसगढ़ में 3 समेत अन्य राज्यों में 30 से अधिक ट्रक चालकों की हत्या कर चुके हैं। ये पहले ट्रक चालकों से दोस्ती करते थे, फिर उनके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया करते थे। उसके बाद उनकी हत्या कर ट्रक को अपने साथ ले जाते थे।

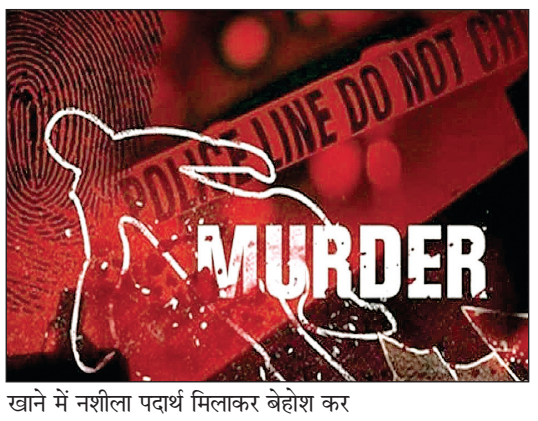

आरोपियों ने प्रदेश के बेमेतरा में अप्रैल 2018 में एक ट्रक चालक की हत्या कर फेंका था। खलासी की हत्या कर बिलासपुर के रतनपुर में फेंक दिया था। साथ ही राजनांदगांव में भी एक चालक की हत्या कर दी थी। बताया जा रहा है कि आरोपियों का पूरा एक सरगना है जो ट्रक चालकों को निशाना बनाते है और यह अब तक 30 से ज्यादा ट्रक चालको की हत्या करना कबूल कर चुके हैं। बेमेतरा पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान और कई खुलासे होने की संभावना है।

जंगल में मिली 10वीं सदी की प्राचीन प्रतिमा

» नव वर्ष में पुरातत्वीय कलाकृति की उपलब्धि संग्रहालय के लिये महत्वपूण

रायपुर (आरएनएस)। महासमुंद जिले के ग्राम सरईटार के फिरतू कटेल जंगल में दसवीं सदी की प्राचीन प्रतिमा लावारिस स्थिति में पड़ी मिली है । प्रतिमा को प्रदर्शन के लिए महंत घासीदास संग्रहालय के पुरातत्व विभाग में लाया गया है। नव वर्ष में इस पुरातत्वीय कलाकृति की उपलब्धि संग्रहालय के लिये महत्वपूर्ण है।

संस्कृति विभाग के संचालक अनिल कुमार साहू ने आज यहां बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि उक्त प्रतिमा पुरातत्वीय कलाकृति है । यह कला-शैली की दृष्टि से लगभग 10वीं सदी के आसपास की ज्ञात होती है। प्रतिमा के सिरोभाग पर पांच फणों का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावित करता है। इस प्रतिमा का स्पष्ट अभिज्ञान करने के लिए नगर के अन्य पुराविदों का सहयोग लिया जा रहा है। काले ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित इस प्रतिमा के कुछ अंश में खंडित तथा क्षरित है। इस कलाकृति का समुचित रासायनिक उपचार और संरक्षण करने के पश्चात् दर्शकों के अवलोकन के लिए संग्रहालय में प्रदर्शित कर दी जावेगी। संचालक साहू ने बताया कि महासमुंद जले की पिथौरा थाना प्रभारी द्वारा ग्राम सरईटार के फिरतू कटेल जंगल में लावारिस स्थिति में पड़ी प्राचीन प्रतिमा को जब्त कर संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग को उक्त पुरावशेष के निरीक्षण, परीक्षण के लिये सूचित किया गया था। थाना प्रभारी की सूचना पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा 14 जनवरी 2020 को पिथौरा थाना में उक्त प्रतिमा का परीक्षण किया गया। परीक्षण तथा सुपुर्दनामा कार्यवाही पश्चात् इस प्रतिमा को पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को सौंपी गयी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंर्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU